भारत सरकार
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. **1180** जिसका उत्तर
शुक्रवार, **09 फरवरी**, **2024/ 20** माघ, 1945 (शक) को दिया जाना है

पत्तनों पर पर्यावरणीय विनियमन

†1180. श्री विष्णु दयाल राम :

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में पत्तनों द्वारा अनुपालन किए जाने हेतु किसी प्रकार के पर्यावरणीय विनियम निर्धारित किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ये विनियम अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए किसी तंत्र की स्थापना की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री
(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क) और (ख): जी, हां। सरकार ने पत्तनों द्वारा अनुपालन किए जाने के लिए विभिन्न पर्यावरणीय विनियम अधिसूचित किए हैं नामत: पर्यावरण प्रभाव आकलन/अधिसूचना, 2006; तटीय विनियम जोन अधिसूचना, 2019, जल (प्रदूषण का निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974; वायु (प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981; खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन, हैंडलिंग और पारगमन आवाजाही) नियम, 2008 आदि। भारत, संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाए गए इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर दी प्रीवेंशन ऑफ पाल्यूशन फ्रोम शिपस (एमएआरपीओएल) का एक हस्ताक्षरकर्ता देश है, जो कि मैरीटाइम फील्ड इंटरनेशनल मैरीटाइम आर्गोनाइजेशन (आईएमओ) में एक विशेषज्ञ एजेंसी है। उक्त कन्वेंशनों के प्रावधानों को वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 में शामिल किया गया है।

(ग): जी, हां। भारत सरकार ने परियोजना का कोई भी निर्माण कार्य शुरू करने से पूर्व श्रेणी-क परियोजनाओं के लिए पर्यावरण आकलन समिति (ईएसी), पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, श्रेणी-ख परियोजनाओं के लिए राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एसईआईएए) से पूर्व पर्यावरण अनुमति प्राप्त करने के लिए विनियामक प्राधिकरण स्थापित किए हैं।

(घ): प्रश्न नहीं उठता।

*****